कार्यालय प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक / 1141 दिनाक 4-10-18

अल्पकालीन निविदा सूचना

1. महामहिम श्री राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा आगरा शहर रेंज के अर्न्तगत ताज नेचर वाक में स्थित केन्टीन (जिसमें मयूरघाटी एवं शौचालय का रखरखाव सम्मलित है) को दो वर्ष के ठेके पर उठाने हेतु अनुभवी निविदादाताओं से मोहरबन्द निविदायें पंजीकृत डाक अथवा कार्यालय में रखे बाक्स के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं।

क्र0 स0	कार्य का विवरण	ठेके की अवधि	बन्धक धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा आंमत्रण की तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	2	3	5	6	7	8
1.	आगरा शहर रेंज में स्थित ताज नेचर वाक में केन्टीन (जिसमें मयूर घाटी एवं शौचालय का रखरखाव सम्मलित है) को दो वर्ष के ठेके पर उठाना।	दो वर्ष	10000.00	200.00	दिनांक 15.10.2018 के अपरान्ह 3:00 बजे तक	दिनांक 15.10.2018 के अपरान्ह 4:30 बजे

2. मोहरबन्द निविदायें व्यापार कर विभाग में पजीकृत निविदादाताओं से दि0 15.10.2018 की अपरान्ह 3:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा कार्यालय में रखे बाक्स के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।
3. निविदायें दि0 15.10.2018 को अपरान्ह 4:30 बजे खोली जायेगी। निविदादाता यदि चाहे तो निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते है।
4. निविदा के साथ कार्य के सम्मुख दर्शायी गयी बन्धक धनराशि जो एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट के रूप में, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा के नाम निरूपित हो संलग्न करना अनिवार्य है। बिना बन्धक धनराशि के कोई भी निविदा मान्य नही होगी।
5. निविदा भरने हेतु निविदा प्रपत्र कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग ताजगंज आगरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रू0 200/– नगद भुगतान कर दि0 14.10.2018 के अपरान्ह 5:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।
6. डाक से निविदा प्रपत्र मंगाने पर डाक व्यय पृथक से देना होगा।
7. ताज नेचर वाक में स्थित मयूर घाटी का रखरखाव हेतु दो श्रमिक/माली सदैव निविदादाता को रखने होगें।
8. ताज नेचर वाक में स्थित शौचालय के रखरखाव हेतु एक सफाई कर्मी निविदादाता को रखना होगा।
9. निविदादाता को ताज नेचर वाक में स्थित शौचालय को जेसी स्थिति में है, उसी स्थिति में दो वर्ष के उपरान्त वापस करने के लिये अनुबन्ध करना होगा।
10. पर्यावरण के प्रतिकूल प्रयोग की जाने वाली वस्तुयें यथा पालीथीन, प्लास्टिक आदि को प्रतिबन्धित करना होगा। निविदादाता को केन्टीन के आस–पास का क्षेत्र साफ रखना होगा। बेस्टेज, पालीथीन जैसे पदार्थ को बाहर फेकना होगा।
11. निविदादाता को केन्टीन में नान वेज पदार्थो (मांसाहार) की बिकी नही करनी होगी।
12. निविदादाता को केन्टीन में मादक पदार्थ, तम्बाकू एंव गुटका इत्यादि की बिकी नही करनी होगी।
13. निविदादाता को केन्टीन में एक प्राथमिक उपचार वाक्स रखना होगा।
14. केन्टीन की सुरक्षा का दायित्व निविदादाता का होगा। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
15. ताज नेचर वाक में स्कूल/कालेज/अथवा किसी संस्था से आये सदस्य, बच्चों को खादय सामग्री की बिकी ताज नेचर वाक विकास समिति के सचिव के दिशा निर्देशों के अनुसार रियायती दरों पर देनी होगी।
16. वन एवं वन्य जन्तु से सम्बन्धित प्रचार–प्रसार सामग्री बिकी हेतु निविदादाता द्वारा रखी जा सकेगी।

17. निविदा प्रपत्र बेबसाइट www.upforest.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है जिसके लिये रू0 100.00 का स्टेशनरी शुल्क एवं निविदा प्रपत्र शुल्क प्रति कार्य हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा के पक्ष में देय हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।
18. वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र प्रमाणित मानी जायेगी।
19. निविदा की समयावधि टेण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त जारी की जायेगी।
20. बिक्री की गयी निविदाये वापस नही की जायेगी।
21. वन विभाग में कार्यरत किसी कर्मचारी व अधिकारी का रिश्तेदार निविदा में भाग नही लेगा।
22. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त केन्टीन की सफाई, एवं आस–पास के क्षेत्र की सफाई का कार्य अपने व्यय पर कराना होगा।
23. निविदादाता को केन्टीन हेतु फर्नीचर आदि की व्यवस्था स्वय करनी होगी।
24. निविदादाता को केन्टीन में बिक्री हेतु सामग्री की रेट लिस्ट प्रभागीय निदेशक से अनुमोदित कराकर टांगनी होगी।
25. निविदादाता को आरक्षित वन भूमि में किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ को नही रखना होगा, तथा केन्टीन में फायर उपकरण रखना होगा। निविदादाता को अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु अग्नि प्रतिरोधक सयत्रों को रखना होगा।
26. निविदादाता को अपना चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 नम्बर प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति निविदा के साथ सलग्न करना होगा।
27. निविदादाता को केन्टीन में बिक्री की जाने वाली कोई खादय सामग्री तैयार नही करनी बल्कि तैयार की गई वस्तु का ही बिक्रय करना होगा, जो मानक के अनुसार होगीं।
28. निविदादाता को किसी प्रकार के कर का भुगतान स्वयं करना होगा।
29. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त स्वयं के खर्चे पर स्टाम्प पेपर लाकर अनुबन्ध कराना होगा।
30. केन्टीन का ठेका दो वर्ष के लिये स्वीकृत किया जायेगा, दो वर्ष के उपरान्त ठेका स्वयं निरस्त समझा जायेगा।
31. बन्धक धनराशि को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त बतौर जमानत जमा किया जायेगा। कार्य समाप्त होने के उपरान्त बिना व्याज के वापस किया जायेगा।
32. निविदादाता को केन्टीन में पृथक से विद्युत मीटर लगाना होगा, एवं प्रयोग की जाने वाली बिजली व पानी के बिल का स्वयं भुगतान करना होगा।
33. केन्टीन का ठेका निविदा फार्म भरने वाले व्यक्ति को ही दिया जायेगा, कोई अन्य व्यक्ति केन्टीन को बिना प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा की आज्ञा के केन्टीन का ठेका निविदादाता अन्य किसी व्यक्ति को नहीं देगा।
34. केन्टीन पर कार्य करने वाले व्यक्ति का सत्यापन प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा से कराना होगा, तथा उस व्यक्ति का फोटो लाकर फोटो पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।
35. निविदादाता को वन नियमों का पालन करना होगा, तथा केन्टीन पर आने व जाने हेतु फोटो पहचान पत्र दिखा कर ही जाना होगा।
36. निविदादाता को केन्टीन से बाहर खुले स्थान पर कुर्सी एवं टेबिल रखने से पूर्व अद्योहस्ताक्षरी से लिखित आज्ञा प्राप्त करनी होगी।
38. बिक्रय हेतु जिन खादय पदार्थो का प्रयोग किया जायेगा, उनका परीक्षण/अनुमति सक्षम औथरिटी से कराना होगा। खाद्य एवं पेय पदार्थ आदि में किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए निविदादाता ही जिम्मेदार होगा। विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

39. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त फोटो पहचान पत्र प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा द्वारा निर्गत किया जायेगा। इसके खो जाने पर दूसरा पहचान पत्र जारी करने के लिये रू0 500.00 बसूला जायेगा।
40. निविदादाता को केवल आने जाने के लिये पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा, पार्किंग पास जारी नही किया जायेगा।
41. पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुये केवल डिस्पोजल पदार्थ, प्लेट, पेपर कप आदि का प्रयोग सर्विस के लिये करना होगा।
42. राज्य/केन्द्र सरकार अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के कम में प्रचलित सभी नियमों का पालन करना होगा।
43. किसी प्रकार से नियमों के उल्लघन करने पर प्रथम अवसर पर दोषी पाये जाने पर रू0 5000.00, द्वितीय अवसर पर दोषी पाये जाने पर रू0 10000.00 तृतीय अवसर पर दोषी पाये जाने पर रू0 15000.00 का दण्ड देना होगा। चतुर्थ अवसर पर दोषी पाये जाने पर निविदा को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
44. बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा को होगा।
45. निविदादाता को किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का टेण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कार्यादेश जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
46. कोई भी निविदादाता जिसका अपराधित इतिहास हो, को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी।
47. स्टेट वार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांकः 1505/ दिनांकितः

प्रतिलिपि निम्न को उक्त क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि टेण्डर नोटिस को विभागीय वेबसाइट पर लोड करने की कृपा करें।
2. मुख्य वन संरक्षक आगरा जोन, आगरा।
3. वन संरक्षक आगरा वृत्त, आगरा।
4. जिलाधिकारी आगरा।
5. समस्त प्रभागीय निदेशक आगरा वृत्त आगरा।
6. उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल पशु विहार प्रेाजेक्ट, आगरा।
7. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 आगरा।
8. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
9. संयुक्त निदेशक पर्यटन उ0प्र0 आगरा।
11. प्रभारी, एन0आई0सी0, आगरा को राजकीय वेबसाइट पर लोड करने हेतु प्रेषित।
12. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, सा0वा0 प्रभाग, आगरा/उप प्रभागीय वनाधिकारी आगरा / फतेहाबाद
13. नोटिस बोर्ड

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,आगरा

Com-2/Draftman/tender tajnature walk/21